

दिनांक-26.02.2021, समय : 11.00 पूर्वाह्न

उपस्थिति यथा पंजी

1. वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का दो विषय शीर्षों के अन्तर्गत निम्नवत् राशि आवंटित है :-

	आवंटित राशि	विमुक्त राशि
0004.31.04 (सहायक अनुदान-वेतन) -	24.00 लाख	24.00 लाख
0004.31.06 (सहायक अनुदान गैर-वेतन) -	276.00 लाख	276.00 लाख
कुल राशि -	300.00 लाख	300.00 लाख

पर्षद् की चौथी बैठक में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के उपर्युक्त स्वीकृत बजट के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए राशि का विवरण अनुमोदित किया गया था।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक-16.12.2020 को दिये गये आदेश के अनुपालन में जन जैव विविधता पंजी के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी, फलस्वरूप इन कार्यों को पूरा करने के लिए राशि का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया। पर्षद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त पुनर्निर्धारण प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर द्रष्टव्य है।

2. जन जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय विशेष समिति के गठन पर विचार किया गया। श्री पी. आर. सिन्हा, विशेषज्ञ सदस्य ने कहा किसी समिति के लिए यह संभव प्रतीत नहीं होता है, कि इतनी बड़ी संख्या (9101) में तैयार की गयी जन जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता का आकलन करें तथा उसके उन्नयन के लिए सुझाव दे सके।

यह समीचीन होगा कि यह कार्य किसी लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान यथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of

34

India), भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) वन अनुसंधान संस्थान (FRI) इत्यादि को दिया जाये, जो सेवारत तथा सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की टीम बनाकर इस कार्यों को सैम्पलिंग कर पूरा करे।

इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी तथा सर्व सम्मत से यह निर्देश दिया कि इन संस्थानों से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाये।

3. पर्षद का कार्य काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर्षद कार्यालय में अभी एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के डैश बोर्ड में जैव विविधता समिति तथा जन जैव विविधता पंजी संबंधी आँकड़ों तथा अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि की जानी है। जन जैव विविधता पंजी जिनकी संख्या 9101 है के आँकड़ों तथा सूचनाओं का भी डिजीटाईजेशन करना आवश्यक है।

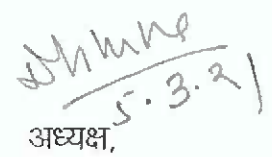
पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन कार्यों के लिए नये पदों के सृजन की अभी आवश्यकता नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर इन कार्यों को (Outsource Agency) वाह्य एजन्सी के माध्यम से कराया जाये।

4 कार्यालय तथा पर्षद के अन्य पदाधिकारियों के उपयोग के लिए स्कारपियो या समकक्ष वाहन निविदा द्वारा किराये पर लिया जाये।

5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पर्षद के आगामी साधारण बैठक, निर्धारित पन्द्रह दिनों की अग्रिम सूचना पर आहूत की जाये तथा उक्त बैठक में चौथी तथा पाँचवी (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन रखा जाये।


सचिव, 5/3/2021

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।


अध्यक्ष, 5.3.21

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।